रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 521] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975/पौष 10, 1897
No. 521] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1975/PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

ORDER

New Delhi, the 31st December 1975

S.O. 742(E).—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970 the Central Government hereby makes the following amendments to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Department of Mines & Metals) No. S.O. 1873, dated the 18th May, 1970, namely:—

In the Table annexed to the said Order, in column (2)—

(a) against Serial No. 4, for the letters, figures & word—
"Rs. 102.00 per Kg." the letters, figures and word

"Rs. 171.00 per Kg." shall be substituted;

(b) against Serial No. 9, for the letters, figures and word—
"Rs. 282.72 per Kg." the letters, figures and word

"Rs. 358.00 per Kg." shall be substituted;

(c) against Serial No. 10, for the letters, figures and word—
"Rs. 311.40 per Kg.", the following shall be substituted, namely:—

(i) "Rs. 418 per Kg., where the bulk drug is used in the formulations manufactured by the same manufacturer;

(ii) Rs. 428 per Kg. for sale to others.";

(d) against Serial No. 13, for the letters, figures and word—

"Rs. 91.71 per Kg.", the following shall be substituted, namely:—

(i) "Rs. 95.55 per Kg., where the bulk drug is used in the formulations manufactured by the same manufacturer;

(ii) Rs. 97.86 per Kg. for sale to others.";

(e) against Serial No. 16, for the letters, figures and word—

"Rs. 53.29 per Kg.", the letters, figures and word

"Rs. 58.00 per Kg." shall be substituted.

[No. 8(27)/75-Ch.I]

P. J. FERNANDES, Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

का० आ० 742 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधिद्रव्य (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा के उप-पैरा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के आदेश सं० का०आ० 1873, तारीख 18 मई, 1970 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (2) में—

(क) क्रम सं० 4 के सामने "102.00 रु० प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "171.00 प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्या 9 के सामने "282.72 रु० प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "358.00 रु० प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम संख्या 10 के सामने "311.40 रु० प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) जहां समष्टि औषधिद्रव्य (बल्क ड्रग) का उपयोग उसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित संरचनाओं में किया जाए, 418.00 रु० प्रति किलो ;

(ii) अन्य को बिक्रय के लिए, 428.00 रु० प्रति किलो" ;

(घ) क्रम सं० 13 के सामने "91.71 रु० प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : —

"(i) जहां समष्टि औषधिद्रव्य (बल्क ड्रग) का उपयोग उसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित संरचनाओं में किया जाए, 95.55 रु० प्रति किलो ;

(ii) अन्य को विक्रय के लिए, 97.86 रु० प्रति किलो ।" ;

(ङ) क्रम संख्या 16 के सामने, "53.29 रु० प्रति किलो" अंकों और शब्दों के स्थान पर "58.00 रु० प्रति किलो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 8 (27)/75—केमि. I]

पी० जे० फरनानडेज, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975